पृष्ठभूमि

1) परंपरागत तौर से भारतीय समाज में इस बात पर जोर दिया जाता है कि परिवार व बुजुर्गों का देखभाल किया जाना चाहिए। '**मातृ देवो भवः**' या '**पितृ देवोभवः**' की संस्कृति में माता-पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है।
2) औद्योगीकरण, पैसे पाने की लालसा, बढ़ते हुए दामों, मंहगाई इत्यादि के कारण आज इन्सान पैसा बनाने की होड़ के कारण अपने माता-पिता और घर के बुजुर्गों की उपेक्षा कर रहा है।
3) वरिष्ठ नागरिकों को बहुत बड़ी संख्या में सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
4) इन्सान को इस आयु में सहारा चाहिए इसी कारण यह आवश्यक हो जाता है कि लोगों को अपने परिवार के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति नैतिक और वैधिक रूप से कुछ कर्त्तव्य सौंपा जाए।

उद्देश्य

1) वरिष्ठ नागरिकों के बुनियादी अधिकारों एवं उन्हें प्रदेय लाभों की रूपरेखा तैयार करना।
2) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तालुका स्तर पर कानूनी सहायता को मजबूत बनाना।
3) विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना।
4) यह सुनिश्चित करना कि, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण जैसी संस्थाओं और वृद्ध आश्रमों की स्थापना कराया जाय।
5) वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों एवं हकों के बारे में जागरूक बनाना।
6) पैनल अधिवक्ता और पारा-लीगल स्वयंसेवकों की इस दिशा में न्यायिक सेवा की क्षमता को बढ़ाना।

माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 एवं बिहार सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली 2012 के मुख्य प्रावधान :

1) यह अधिनियम केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत देश में लागू है तथा यह भारत के बाहर रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को भी लागू है।
2) वरिष्ठ नागरिक का तात्पर्य है, भारतीय नागरिक जिसने साठ (60) वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।
3) भरण-पोषण के लिए आवेदन निम्नलिखित व्यक्ति कर सकते हैं–
   (i) माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक जैसा भी हो,
   (ii) अगर वह असमर्थ हों तब किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा जो उनके द्वारा अधिकृत हो,
   (iii) ट्रिब्यूनल द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है।
4) यदि वरिष्ठ नागरिक इस स्थिति में नहीं है कि शिकायत करने के लिए घर से बाहर जा सके तो उनके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति या संस्था शिकायत दर्ज कर सकती है।
5) प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक/माता-पिता/दादा-दादी/नाना-नानी जो अपनी निजी आय से भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, अपने बच्चों पर भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं।
6) बच्चों/उत्तराधिकारियों द्वारा जीवन-यापन का भार उठाने की स्थिति में भरण-पोषण हेतु दावा भरण-पोषण न्यायाधिकरण यानि अनुमंडल कार्यालय में आवेदन देकर किया जा सकता है। यह आवेदन स्वयं, किसी अधिकृत व्यक्ति या पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से किया जा सकता है।
7) भरण-पोषण न्यायाधिकरण, वरिष्ठ नागरिक/माता-पिता को उसके बच्चे/संबंधी द्वारा **भरण-पोषण भत्ते के रूप में 10,000/- रुपये प्रतिमाह** तक की राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकते हैं।
8) न्यायाधिकरणों को भरण-पोषण संबंधी **आवेदन का निर्णय 90 दिन की अवधि में** करना अनिवार्य है।
9) भरण-पोषण और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष **वकील किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व** नहीं कर सकते हैं।
10) राज्य सरकार ने सभी जिले के समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक या समकक्ष अधिकारी को भरण-पोषण अधिकारी नियुक्ति किया है, जो माता-पिता/वरिष्ठ नागरिक के अनुरोध पर भरण-पोषण अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
11) वरिष्ठ नागरिक का **परित्याग (abandonment) करना दण्डनीय अपराध** है, जिसके लिए तीन माह का कारावास अथवा 5000/- रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
12) वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता अपने शरीर या सम्पत्ति पर खतरे की स्थिति में जिला पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं।
13) प्रत्येक पुलिस स्टेशन (थाना), अपने क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की अद्यतन सूची रखेगा, खासकर जो अकेले रहते हों, साथ ही, पुलिस थाने के प्रतिनिधि, स्थानीय समाज कार्यकर्त्ता या स्वयं सेवक के साथ प्रत्येक माह में कम से कम एक बार वरिष्ठ नागरिक के घर जाकर उनकी शिकायतों/समस्याओं का त्वरित समाधान की कोशिश करेंगे।
14) पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक प्रचार माध्यमों या पुलिस थाना के माध्यम से नियमित अंतराल पर वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।
15) राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर सलाह के लिए राज्य स्तर पर **वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद्** एवं जिला स्तर पर भी **वरिष्ठ नागरिकों की जिला समिति** की स्थापना की है।
16) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में निर्धन **वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना एवं संचालन की व्यवस्था** करेगी।

अन्य प्रावधान

- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 माता-पिता को भी भरण-पोषण प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देती है।
- धारा 125 पति, पिता और पुत्रों पर अपने आश्रित माता-पिता के भरण-पोषण की कानूनी जिम्मेदारी डालती है।
- आश्रित पत्नी, संतान या माता-पिता प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्हें मासिक खर्च देने के लिए अपने पति, पिता या पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं।
- यदि विवाहित बेटी के पास स्वतंत्र पर्याप्त साधन है अथवा उसके पति के पास पर्याप्त साधन अथवा आय है और उस बेटी के माता-पिता स्वयं अपना निर्वाह नहीं कर सकते हों तो वे अपनी विवाहित बेटी से भी भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं।
- हिन्दु दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत एक हिन्दु पुत्र या पुत्री अपने जीवनकाल में अपने बुजुर्ग या अक्षम माता-पिता के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी है। यदि पुत्र या पुत्री के पास कोई सम्पत्ति है तो यह जिम्मेदारी उस सम्पत्ति के विरुद्ध भी लागू की जा सकती है।

इस अधिनियम के नियम एवं शर्तों की अधिक जानकारी हेतु प्रत्येक जिला के जिला विधिक सेवा प्राधिकार, (सिविल कोर्ट परिसर) या बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बुद्ध मार्ग, पटना से सम्पर्क कर सकते हैं।

न्याय समाधान केंद्र

मो०-8709901744
Email : bslsanayayasamadhan@gmail.com
Toll Free No. : 15100

नालसा

(वरिष्ठ नागरिकों के विधिक सेवाएँ)

योजना - 2016

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्धमार्ग, पटना संग्रहालय के सामने
पटना- 800 001
फोन : 0612-2230943, 0612-2234441
0612-2200366; फैक्स: 0612-2201390
Email : bslsa_87@yahoo.co.in
Website : bslsa.bih.nic.in
Toll Free No. : 15100

Printed at : Satya Prints, Patna-3, # 9334244396